राज्य सभा में 24 अप्रैल 2015 को पारित

राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन बिल, 2014

एक कुंजी

1. इसमें कौन शामिल है ?

खंड 2 (t) "**ट्रांसजेंडर व्यक्ति**" को परिभाषित करते हुए कहता है, कोई व्यक्ति जिनका जेंडर उन्हें जन्म पर नियुक्त किये हुए जेंडर से अलग हो जिसमें ट्रांस-पुरुष और ट्रांस-महिला दोनों (भले ही उन्होंने सेक्स चेंज सर्जरी, लेसर थेरेपी, हॉर्मोन थेरेपी इत्यादि करवाई हो या नहीं), जेंडर क्वीर, और कई सामाजिक और संसृतिक पहचानें जैसे की - किन्नर, हिजड़ा, अरवणी, जोगता इत्यादि।

2 . इस बिल में किन अधिकारों का आश्वासन दिया गया है ?

दूसरा अध्याय (chapter 2) आठ खण्डों में **अधिकार और हकदारी** की बात रखता है। ज्यादातर मूल अधिकार जैसे कि समानता, जीवन, अभिव्यक्ति, समुदाय या सामूहिक जीवन, अखंडता, तथा परिवार के साथ उत्पीड़न दुर्व्यवहार के खिलाफ अधिकार की बात करता है। एक खंड खास तौर से ट्रांसजेंडर बच्चों के अधिकारों को स्पष्ट करता है।

शिक्षा, रोज़गार, सामाजिक सुरक्षा और स्वस्थ्य अलग-अलग अध्यायों में विस्तृत रूप से लिए गए हैं। शिक्षा के अध्याय में सरकार पर संयुक्त शिक्षा दिलाने की ज़िम्मेदारी रखी गयी है। वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल करने का बीड़ा भी सरकार पर रखा गया है।

रोज़गार के अध्याय में सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजित रोज़गार की योजनाएं गढ़ने का आदेश दिया गया है। यह अध्याय किसी भी कार्यक्षेत्र में व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव निषेध करार करता है, जिसमें निजी सेक्टर भी शामिल है।

सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य के अध्याय में सरकार को परियोजनाओं की श्रंखला लागू करने की ज़िम्मेदारी है, जिनसे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का जीवन स्तर बराबरी के स्तर पर आये। इसमें सामुदायिक केंद्र बनाने की , साफ़ पानी उपलब्ध कराने की और स्वच्छता और सफाई व्यवस्था की योजनाएं भी शामिल हैं। खास HIV चिकित्सा केन्द्र और निःशुल्क लिंग परिवर्तन (सेक्स चेंज सर्जरी) के रूप में स्वस्थ सुविधाएं उपलब्ध करने का भी आदेश है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार के लिए ट्रांसजेंडर पुनर्सुधार(रिहेबिलिटेशन) कार्यक्रम जारी करने का भी आदेश है। सांस्कृतिक जीवन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने का भी आदेश है जिसमें ट्रांसजेंडर समूह में फिल्में, नाटक, संगीत और नृत्य फेस्टिवल के लिए आर्थिक संरक्षण का आदेश भी शामिल है।

इस अध्याय में **आरक्षण** का भी एक सीमित प्रबंध है। सरकारी शिक्षा संस्थान तथा सरकारी मदद प्राप्त करने वाली संस्थाओं से हर कोर्स में कुल सीटों का 2% ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षित करने को कहा गया है। सरकारी संस्थाओं से खाली पदों के रूप में उपलब्ध करने को कहा गया है। जहाँ तक निजी क्षेत्र की बात है , यह विधेयक

सरकार को रोज़गार नियोजकों को प्रोत्साहन देने का आदेश देता है, जिससे की इस कानून के लागू होने के पांच साल मे निजी क्षेत्र में 2% श्रमिक और कार्यकर्ता ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की हो।

3. इस कानून में कर्त्तव्य पदाधिकारी कौन हैं ?/इस कानून को लागू करना किस अधिकारी का कर्त्तव्य है?

ज़्यादातर प्रावधानों के लिए कर्त्तव्य "राज्य" का है। कानून में निरंतर "**उपयुक्त सरकार**" शब्दों का प्रयोग किया गया है जिसमें सरकार और सभी सरकारी वित्त प्रबंधित संस्थाएं शामिल हैं। निजी व्यक्ति उस खंड में शामिल हैं जहाँ किसी भी स्थापना में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव निषेध करार किया गया है। यह कानून "**स्थापना**" की परिभाषा में कंपनियां, फर्म, इत्यादि कई प्राधिकारी स्थापनों को शामिल करती है जो कोई सेवा प्रदान करते हैं। सेवा प्रदान की खुली परिभाषा में किसी भी व्यवसाय के सदस्य या व्यापर में सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्ति शामिल है जैसे की बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन इत्यादि।

4 . इसका प्रवर्तन तंत्र क्या है ?

यह विधेयक कई समितियों और मंचों की स्थापना करता है। अध्याय 7 में राष्ट्रीय और राज्य ट्रांसजेंडर आयोग की रचना करने का प्रबंध है जो की पहले से गढ़ी राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी समितियों पर आधारित है। इन आयोगों की कार्य दिशा निर्देशों के लागू होने का, कानून के लागू होने में कमी और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों के हनन के अन्वेषण करने का होगा। इस आयोग को अपनी प्रक्रियाएं चलाने, गवाहों को बुलाने और साक्ष्य इकठ्ठा करने के लिए सिविल न्यायालय के समान अधिकार दिए गए हैं।

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों द्वारा पहचान के आधार पर/वजह से अधिकारों के हनन या किसी और कानून के अंतर्गत दर्ज किये गए मुकद्दमों की सुनवाही के लिए ख़ास ट्रांसजेंडर अदालत नियुक्त किये गए हैं। यह दो तरीकों से किया जायेगा। पहला यह, की हर उप विभाजन में एक न्यायालय को **खास ट्रांसजेंडर अधिकार अदालत** की तरह रूपांकित किया जाये जो की अन्य विषयों के साथ ट्रूरांसजेंडर व्यक्तियों के केस भी सुने। दूसरा विकल्प यह है की या तो हर ज़िले में अथवा अनिवार्य रूप से 10 लाख या ज़्यादा आबादी वाले हर शहर में खास **ट्रांसजेंडर अधिकार अदालत** का प्रबंध किया जाये।

अंत में, अध्याय 9 में कानून के उल्लंघन और सजा पर स्पष्टता देते हुए किसी संस्था द्वारा भेदभाव पर सिविल नहीं बल्कि दंडनीय (क्रिमिनल) अपराध की तरह कार्यवाही करने का प्रबंध है। इसके अतिरिक्त, एक साल तक कारावास के रूप में "हेट स्पीच" (घृणापूर्ण व्याख्या) की दंड का प्रबंध है जो की यह विधेयक अपराध करार करता है।

लेखन : दानिश शेख, अल्टरनेटिव लॉ फोरम
अनुवाद : मानक मटियानी, दिल्ली क्वीर प्राइड समिति